



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2026/351/

भिलाई, दिनांक 03/03/2026

//आदेश//

श्री मलकीत सिंह, भृत्य जोन क्रमांक 03 को आधार-सामग्री बायोमेट्रिक प्रतिदिन के उपस्थिति प्रतिवेदन में लगातार अनुपस्थिति प्रदर्शित हो रहा है एवं जोन कार्यालय में प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 22.01.2026 से लगातार बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने के कारण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है जिसका जवाब आज दिनांक तक जवाब अप्राप्त है।

श्री मलकीत सिंह, भृत्य के द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति/सूचना के लगातार अवकाश लिया जा रहा है जो कि अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही का घोटक है तथा शराब के नशे में धूत होकर अपने सहकर्मी के साथ मारपीट एवं माली-मलौच, अनुचित व्यवहार किया जाता है जिसकी विभाग द्वारा सूचना थाने में भी की गई है। उनका यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1)(2)(3) के विरुद्ध का आचरण है।

अतः उपरोक्त कृत्य के लिए श्री मलकीत सिंह, भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 03/03/2026

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2026/355
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 एवं 4 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
11. श्री मलकीत सिंह, भृत्य जोन क्रमांक 3 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई